THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA) : (a) Yes, Sir. The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against the former General Manager of the D.M.S. on the allegation of demanding and accepting a bridge of Rs. 2 lakhs from the representative of the Co-operative Societies to amend/withdraw his order raising the amount of security deposit from the amount equal to 6 days' supplies to the amount equal to days' supplies in respect of milk supplied by them.

(b) No, Sir. The former General Manager, DMS has been placed under suspension.

(c) Complaints of irregularities or malpractices coming to notice are looked into and remedial action as may be appropriate is taken.

Impurity of foodgrains supplied through P. D. S.

@ 1392. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 39 to 49 per cent impurities in the food grains supplied through PDS are officially allowed ; and

(b) If so, what are the reasons for allowing such a large extent of impurities in the food, making them sub-standard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) No, Sir. Such an apprehension is based on erroneous appreciation of the technical specifications which are prescribed in consultation with the State Governments after taking into consideration the agricultural practices and agroclimatic conditions in the country.

Only such foodgrains which are fit for human consumption and conform to PFA Standards, are issued by the FCI to State Governments or their agencies for distribution through PDS.

@Previously Unstarred Question 385, transfered from the 30th April, 1992.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कम गेहूं दिया जाना

1393. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1992 को "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में डिफाल्टर्स में गैट लैस व्हीट अन्डर पी० डी० एस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अधिक उत्पादक राज्यों से गेहूं की खरीद कम होने के कारण राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले गेहूं एवं खाद्यान्नों की मात्रा घटा देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा समय रहते इन राज्यों से समर्थन मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के आवंटन विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मास किए जाते हैं जिसमें केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता प्रमुख आधार है। तत्काल भुगतान करने आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की बसूली एजेंसियों को पहली अप्रैल, 1992 से 31 मई, 1992 की अवधि के दौरान गेहूं की बिक्री करने पर किसानों को अदा किए जाने वाले गेहूं के 250

पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 396, 30 अप्रैल, 1992 से स्थानांतरित ।

रुपये क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने की भी घोषणा की है ।

गेहूं तथा चावल के मूल्यों में वृद्धि

@@@1394. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 28 दिसम्बर, 1991 को गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि करके गेहूं का मूल्य 234 रुपये से 280 रुपये प्रति क्विंटल और चावल का मूल्य 349 रुपये से 347 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है और इन्हें बढ़ी हुई दरों पर ही उपभोक्ताओं को बेचना प्रारम्भ कर दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये प्रति दिन निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने खेतिहर मजदूर द्वारा 20 रुपये प्रति दिन की स्वल्प मजदूरी कमाकर 4 रुपये 37 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर चावल तथा 2 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं खरीद कर अपने परिवार को खिला पाने की वर्तमान क्षमता का आकलन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां । गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को आंशिक रूप से खपाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) को 28-12-91 से बढ़ा दिया गया है । तथापि चावल की साधारण किस्म का केन्द्रीय निर्गम मूल्य इस समय 377 रुपये प्रति क्विंटल है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आयोग ने किसी खेतिहर मजदूर के परिवार में मजदूरी कमाने वाले सदस्यों की औसत संख्या के बारे में विचार करने के बाद और न्यूनतम खाद्य व्यय को दृष्टि में रखने के बाद न्यूनतम मजदूरी का आकलन किया है ।

(घ) श्रम मंत्रालय जो कि इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय है, ने आयोग की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों को अवगत करवा दिया है ।

Hoarding of foodgrains

1395. SHRI R. T. GOPALAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the Central Government have issued any fresh instructions to State Governments in regard to hoarding of foodgrains ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the States where ceiling on the wheat stocks have been imposed ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) Yes, Sir.

(b) The uniform reduced maximum stock-holding limits on wheat and rice suggested are as under :—

Item	Category	Maximum Stock-Holding Limits	Instructions Issued on
Wheat . .	Wholesalers	250 Qtls.	7-2-1992
	Retailers	50 Qtls.	7-2-1992
	RFMs	15 day's grinding capacity of a mill	11-3-1992
Rice	Wholesalers	250 Qtls.	7-2-1992
	Retailers	50 Qtls.	7-2-1992
	Rice Millers	500 Qtls.	11-3-1992

@@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 397, 30 अप्रैल, 1992 से स्थानांतरित ।